

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-02
संख्या : — /VII-A-2/ ई-75771/2025/02(02)2024
देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-580/VII-A-2/ई-75771/02(02)2024, दिनांक 11.12.2024 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत मै0 शिव ज्योति औद्योगिक आस्थान ग्राम सिकन्दरपुर लकेश्वरी, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में कय/कय अनुबन्धित विभिन्न खसरा संख्याओं के सापेक्ष कुल 30.81 एकड़ भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2- एतद्वारा महानिदेशक/आयुक्त उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या-6329/उ0नि0(12) औ0आस्थान/2024-25, दिनांक 06.03.2025 के क्रम में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत मै0 शिव ज्योति औद्योगिक आस्थान हेतु राजस्व ग्राम सिकन्दरपुर लकेश्वरी, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में कय/कय अनुबन्धित स्तम्भ-1 में उल्लिखित खसरा संख्याओं के स्थान पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित खसरा संख्याओं को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रस्तर		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर			
खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्र.स.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे0)	क्षेत्रफल (एकड़)
313, 304, 479, 316, 288	30.81	1	288	0.5765	1.424512
337, 338, 344, 334, 336, 327, 328, 331, 332		2	290	0.0095	0.023475
325, 319		3	293	0.5665	1.399852
318, 325		4	313	1.994	4.927106
		5	316	1.481	3.659501
		6	335	0.0520	0.128495
		7	304/479	0.017	0.042006
		8	327	0.352	0.86978
		9	328	0.153	0.378058
		10	331	0.857	2.117618
		11	332	0.683	1.68767
		12	334	0.0136	0.033605
		13	336	0.024	0.059303
		14	334	0.0136	0.033605
		15	336	0.024	0.059303
		16	337	0.889667	2.198337
		17	338	0.116667	0.28828
		18	344	0.4173	1.031134
		19	337	0.889667	2.198337
		20	338	0.116667	0.28828
		21	318	0.5975	1.476402
		22	319	0.4832	1.193971
		23	325	0.5315	1.313319
		24	318	0.5975	1.476402
		25	319	0.4832	1.193971
		26	325	0.5315	1.313319
		योग		12.47107	30.81564

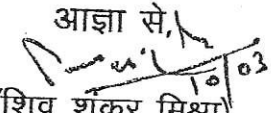
3- अधिसूचना संख्या-580/VII-A-2/ई-75771/02(02)2024, दिनांक 11.12.2024 में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगी।



(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या : 115 (1) / VII-A-2 / ई-75771 / 2025 / 02(02)2024, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग/वन विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना के क्रम में प्रकरण को अनिवार्य रूप से राज्य प्राधिकृत समिति की आगामी बैठक में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, उत्तराखण्ड।
12. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
13. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
15. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की-हरिद्वार को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
16. मै0 शिव ज्योति औद्योगिक आस्थान, ग्रा0 सिकन्दरपुर, लकेश्वरी, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार। (रजिस्टर्ड ऑफिस-295 गुजरावाला टाउन पार्ट-3, नई दिल्ली-110009)
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।